

UPSH010008132026



न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-07, शाहजहाँपुर।  
प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-406/2026  
CNR No.UPSH010008132026

**परमजीत सिंह**, उम्र करीब 57 वर्ष, पुत्र **सिंगारा सिंह**, निवासी ग्राम मजरा पूरब, थाना पढुआ, जनपद लखीमपुर खीरी।

. . . प्रार्थी/अभियुक्त।

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य।**

मु0अ0सं0-38/2026,  
धारा-8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट  
थाना-खुटार,  
जिला-शाहजहाँपुर।

**दि0-18-03-2026**

आवेदक/अभियुक्त **परमजीत सिंह**, मुकदमा अपराध संख्या-38/2026, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना-खुटार, जिला शाहजहाँपुर के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**2-** आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता **रामेन्द्र सिंह पुत्र परमजीत सिंह** द्वारा शपथ पत्र में वर्णित किया गया है कि वह आवेदक/अभियुक्त बलजीत सिंह का सगा पुत्र है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही निरस्त हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त कथनों के प्रतिकूल कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है।

**3-** अभियोजन कथानक के अनुसार, उपनिरीक्षक अंकुर कुमार द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 13.02.2026 को थाना खुटार, जिला शाहजहाँपुर पर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 12.02.26 को मैं उ0नि0 अंकुर कुमार मय हमराही का0 2205 सिकंदर सिंह मलिक, का0 2146 फिरोज हसन, का0 94 हरिओम सिंह सिंह मय निजी वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट न0. 059 समय 20.26 बजे वास्ते देखरेख थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चौकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति गिरफ्तारी वांछित अपराधी तथा पैडिंग अहकामात में रवाना होकर लंगोटी बाबा मंदिर लालपुर खुटार मैलानी को जाने वाली सड़क पर पहुँचे तो थाना हाजा से पूर्व मे रवानाशुदा सीसीटी टीम उ0नि0 टिकू कुमार मय हमराह हे0का0 197 संजीव कुमार, हे0का0 334 राजपाल सिंह मय सरकारी द्वितीय मोबाईल चालक का0 52 राहुल दयाल मौके पर मौजूद मिले। हम पुलिस वाले लालपुर पुल के नीचे खड़े बात कर रहे थे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि तीन व्यक्ति बाबा चौराहे पर खड़े है ओर कहीं जाने की फिराक में है, जिनके पास स्मैक है, यदि आप लोग जल्दी करें तो मौके पर ही उक्त व्यक्तियों को स्मैक के साथ पकड़ सकते हैं। मुखबिर की बातों पर विश्वास करके हम पुलिस वालों ने आ जा रहे व्यक्तियों को रोककर मकसद बताकर गवाही गवाहान के लिए कहा तो कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और भलाई बुराई का हवाला देकर बिना नाम पता बताये मौके से चले गये। तत्पश्चात हम

(2)

पुलिस वालों ने मय मुखबिर के आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। हम पुलिस वाले मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान के करीव पहुंचे तो मुखबिर द्वारा वाहन रुकवाते हुए दूर से हाथ का इशारा करके बताया कि सामने चौराहे पर जो व्यक्ति खड़े हैं वो वहीं व्यक्ति हैं जिनके पास स्मैक है। मुखबिर यह बताकर मौके से चला गया। जब हम पुलिस वाले तेजी से चलते हुये उन व्यक्तियों के पास पहुंचे तो वे व्यक्ति सकपकाकर तेजी से चांदपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर तेजी से चलने लगे, जिस पर हम पुलिस वालों ने दौड़कर उन व्यक्तियों को मैलानी की ओर जाने वाले हाईवे से चांदपुर जाने वाले रास्ते पर करीव 20 मीटर दूर समय करीब 22.17 बजे पकड़ लिया। इस पर मुझ उ0नि0 द्वारा अन्तर्गत धारा 105 बीएनएसएस का पालन करते हुए उ0नि0 टिकू कुमार के मोबाईल से ई-साक्ष्य ऐप पर वीडियो बनाते हुए पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम **परमजीत सिंह पुत्र सिंगारा सिंह** नि० ग्राम मजरा पूरब थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी, उम्र करीब 57 वर्ष बताया तथा अपने पास स्मैक होने की जानकारी दी है। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम बलजीत सिंह पुत्र परमजीत सिंह नि० ग्राम मजरा पूरब थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 32 वर्ष बताया तथा अपने पास स्मैक होने की जानकारी दी है। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुखदेव सिंह पुत्र कुलवंत सिंह नि० नानकमता थाना नानकमता, जनपद ऊधम सिंह नगर, उम्र करीब 37 वर्ष बताया तथा अपने पास स्मैक होने की जानकारी दी है। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों ने एक साथ बताया कि साहब हमारे पास स्मैक है, इसलिये हम आप लोगों से बचकर भाग रहे थे। पकड़े गये व्यक्तियों को धारा 50 NDPS ACT के प्रावधानो से अवगत कराते हुए बताया कि आपका यह कानूनी अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष करा सकते हैं। पकड़े गये व्यक्तियों ने राजपत्रित अधिकारी के समक्ष अपनी जामा तलाशी कराने की इच्छा व्यक्त की है, इस पर मुझ उ0नि0 द्वारा अपने मो0न0 90843XXXXX से जरिये दूरभाष श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ श्री प्रवीण मलिक महोदय से उनके सी0यू0जी0 मो नं0 94544XXXXX से समय 10.19 बजे सम्पर्क कर प्रकरण से अवगत कराया गया तो श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय ने बताया कि मैं थाना खुटार के क्षेत्र में ही भ्रमणशील हूँ आप लोग वहीं रुकिये मैं मौके पर आ रहा हूँ। कुछ समय पश्चात् श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ महोदय मौके पर उपस्थित आये है उनके आदेशानुसार मुझ उ0नि0 द्वारा महोदय के समक्ष पकड़े गये पहले व्यक्ति **परमजीत उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो पहने कुर्ते की दाहिनी जेब से एक कीपैड फोन पजमस कंपनी का, बांयी जेब से काली पन्नी के अंदर पारदर्शी पन्नी मे रखी स्मैक बरामद हुई जिसको विवेचना किट में रखी तराजु से तोला गया तो वजन मय पारदर्शी पन्नी के 50.99 ग्राम है** पहने कुर्ते की सामने की बांयी जेब से 1100 रु0(500X2, 200X1) के नोट बरामद हुये। दूसरे व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो पहनी लोवर की बांयी जेब से एक पारदर्शी पन्नी मे रखी स्मैक बरामद हुई जिसको विवेचना किट में रखी तराजु से तोला गया तो वजन मय पारदर्शी पन्नी के 35.78 ग्राम है लोवर की दाहिनी जेब से एक एण्ड्रायड फोन विवो कंपनी का व पहनी जैकेट की बांयी जेब से 900 रु0 (500x1, 200x2) के नोट बरामद हुये। तीसरे व्यक्ति की जामा तालाशी ली गयी तो पहनी लोवर की बांयी जेब से 700 रु0 (500x1, 200x2) के नोट बरामद हुये व लोवर की दाहिनी जेब से एक पारदर्शी पन्नी मे रखी स्मैक बरामद हुई जिसको विवेचना किट में रखी तराजु से तोला गया तो वजन मय पारदर्शी पन्नी के 19.77 ग्राम है तथा एक 10 का नोट बरामद हुआ। तीनों पीलीथीन को खोलकर सूंघा व

### (3)

हमराहीगण को सुघांया गया तो पकड़े हुए तीनों व्यक्तियों के अनुसार देखने व जांच करने में स्मैक जैसी प्रतीत हो रही है। पकड़े गये व्यक्ति एक साथ अपनी गलती की माफी मांगने लगे। पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा कारित अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 NDPS ACT की हद को पहुँचता है। पकड़े गये इन व्यक्तियों को उनके जुर्म धारा 8/21 NDPS ACT से अवगत कराते हुए समय 23.10 बजे हस्वकायदा हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर गिरफ्तारी मैमो तैयार किया गया। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये मौके से चले गये। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशो का पूर्णतः पालन किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से बरामदा स्मैक को मय पन्नी के तीन अलग-अलग प्लास्टिक के पारदर्शी डब्बो में रखकर सील सर्वे मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया एवं पकड़े गये व्यक्तियों से बरामद मोबाईल फोन की चिटबंदी कर प्लास्टिक के एक पारदर्शी डब्बे में रखकर सील सर्वे मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामदा स्मैक में से नमूना माल मा० न्यायालय के समक्ष अलग से निकाला जाएगा। गिरफ्तारी व बरामदगी की वीडियोग्राफी उ०नि० टिकू कुमार द्वारा ई-साक्ष्य एप से बनायी गयी जिसका SID NO 2798607900845133 है। गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुंचकर उचित माध्यम से परिजनों को दी जाएगी। फर्द मौके पर मुझ उ०नि० द्वारा लैपटॉप पर टाइप कर फर्द की साफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में डालकर का० 2146 फिरोज हसन को देकर थाने भेजकर प्रिंट आउट की दो प्रतियाँ मंगवायी गयीं। कुछ समय बाद का० 2128 सनी कुमार फर्द की दो प्रति लेकर वापस आया। फर्द मजबूत मुझ उ०नि० द्वारा पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित व अभियुक्तगण के अलामात बनवाये गये। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

4- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उसके घर से थाना पढुआ जिला खीरी के क्षेत्राधिकार के गलत ढंग से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास को किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हयी। पुलिस द्वारा दिखाई गयी बरामदगी फर्जी व साजिशी है। पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त बलजीत को एनकाउण्टर में मार देने का डर दिखाकर फर्जी वीडियोग्राफी की गई है तथा पुलिस द्वारा जबरदस्ती स्मैक उसकी जेब में रखकर झूठा मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी अवैध है। गिरफ्तारी मैमो पुलिस द्वारा थाने पर भरा गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है न ही किसी घटना के गवाह को पुलिस द्वारा न दिये जाने के चलते कोई विधिक नोटिस ही दी गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के घर से मोबाइल व रुपये की पुलिस द्वारा जबरदस्ती छीने गये हैं जिससे कि मुकदमे को मजबूती प्रदान की जा सके। पुलिस द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के नियम 2022 का अनुपालन नहीं किया गया है जिसके अनुसार माल की सैम्पलिंग मजिस्ट्रेट की अनुमति से करनी चाहिए तथा नमूना माल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लेना अनिवार्य है। एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 42, 50, 52, का अनुपालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। रिमाण्ड पत्रावली में एफ०एस०एल० की कोई भी रिपोर्ट संलग्न नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि प्रार्थी/अभियुक्त के पास से बरामद पदार्थ स्मैक ही हो। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से पुलिस द्वारा दिखाई गई स्मैक की बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम मात्रा में है। तथाकथित स्मैक का वजन जो पुलिस द्वारा बतलाया गया है वह पारदर्शी पन्नी के सहित है जिससे यह परिलक्षित होता है कि असल वजन पुलिस के बताये गये वजन से और भी कम होगा। प्रार्थी/अभियुक्त किसान और मजदूर व्यक्ति है और प्रार्थी की बहू के पेट का

(4)

ऑपरेशन दिनांक 04.02.2026 को गुरु रामदास हास्पिटल पलिया रोड निघासन, खीरी मे हुआ था जिससे प्रार्थी की बहू ने एक पुत्री को जन्म दिया है, इसलिये उसकी देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है। क्योंकि प्रार्थी का पुत्र भी उसके साथ जेल मे निरुद्ध है। यह तथ्य कतई माने जाने योग्य नहीं है कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि फला व्यक्ति के पास स्मैक है क्योंकि प्रार्थी का घर घटना से 100 किमी दूर है। अमूमन मुखबिर अपने गांव या क्षेत्र के व्यक्तियों के बारे में ही सही बात बता सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा समय 23:10 बजे हिरासत में लिया जाना बताया जाता है तथा मौके पर गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार किया जाना बताया जाता है। इतनी रात मे बिना प्रकाश के गिरफ्तारी मेमो कैसे तैयार किया गया यह अस्पष्ट है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट मे प्रकाश के स्रोतों में न तो टार्च का जिक्र है और न ही मोबाइल टार्च का जिक्र है जिससे घटना बनौती व फर्जी है। पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को बिना किसी साधन के गिरफ्तार किया गया है जो यह दर्शाता है कि 100 किमी दूर रहने वाले हैं और किसी बिना साधन के रात्रि 23:10 बजे घटना स्थल पर मौजूद होना संदिग्ध प्रतीत होता है। फर्द पर क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के हस्ताक्षर नहीं है जिससे स्पष्ट है कि धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट का अनुपालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व से सजायापता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा श्रीमान जी द्वारा प्रदान की गई जमानत की स्वीकृता का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त उपरान्त जमानत हर तारीख पेशी पर हाजिर अदालत आयेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गवाहान सबूत तोड़ने व धमकाने की कोई भी संभावना नहीं होगी। प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण मुकदमा मा० न्यायालय का सहयोग करेगा तथा साक्ष्य विखण्डन एवं पलायन की चेष्टा नहीं करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को दौरान विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया गया।

5— विद्वान विशेष अभियोजन (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के पास से 50.99 ग्राम स्मैक (नशीला) पदार्थ बरामद हुआ है। आवेदक/अभियुक्त नशीले पदार्थ का कारोबार करता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6— मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष अभियोजन (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7— अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त परमजीत की जामा तलाशी से 50.99 ग्राम स्मैक पाया गया, जो केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का. 1055 (ई०) दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की सारणी में इन्द्राज संख्या 56 में अल्प मात्रा (5 ग्राम) से अधिक किन्तु वाणिज्यिक मात्रा (250 ग्राम) से कम है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.02.2026 से जिला कारागार, शाहजहाँपुर में निरुद्ध है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 03 आपराधिक इतिहास दर्शाये गये हैं, किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक/अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि होने का कोई कथन नहीं किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रकरण में समस्त साक्षीगण पुलिस बल के सदस्य हैं और उक्त साक्षियों को डराने-धमकाने की संभावना नहीं है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं बरामद स्मैक की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर विचार करते हुए न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त है। अतः

(5)

आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदक/अभियुक्त **परमजीत सिंह**, द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-38/2026, धारा-8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना खुटार, जिला शाहजहाँपुर के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त **परमजीत सिंह**, द्वारा रूपये **75,000/-**(**पचहत्तर हजार रूपये**) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये।

- 1- आवेदक/अभियुक्त घटना से अवगत साक्षियों को डरायेगा-धमकायेगा नहीं तथा मामले के अनुसंधान तथा विचारण में सहयोग करेगा।
- 2- विचारण के दौरान अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा मामले के विचारण में विलम्ब कारित नहीं करेगा।
- 3- विचारण के दौरान साक्षियों की उपस्थिति होने पर अभियुक्त अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले को विलंबित नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

**दिनांक-18-03-2026**

**(नुसरत खान)**

अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष संख्या-07, शाहजहाँपुर।  
ID-UP1604